

FORM -I

(For Linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector Tehri Garhwal

R.No. 210/XXVI-ALL II 2021-2022 TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

DATED. 10-1-2022

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's Letter No. 11-98-FC (pt.) 3rd August 2009 wherein the MOEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act 2006 ('FRA', for short) on the Forest land proposed to be divert for non-forest purpose read with MOEF's letter dated 5th February 2013 wherein MOEF issued certain relaxation in respect of linear project, it is certified that 1.1206 Hectares of Forest land proposed to be diverted in favor of Indian Railways for "Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in state of Uttarakhand" which falls within jurisdiction of Village Bawani in Pav Ki Devi Tehsil under Narendranagar Tehsil.

It is further certified that:

- The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 1.1206 Hectares of Forest area proposed of diversion, a copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights committee (s), Gram Sabha (s), Sub-divisional level committee (s) and the district level committee are enclosed annexure
- The diversion of Forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Group and pre-agricultural communities

Encl.: As above

District Collector

जिलाधिकारी  
टिहरी गढ़वाल



## Office of the District Collector Tehri Garhwal

### District Tehri Garhwal (Uttarakhand)


#### Proceedings of meeting of District Level Committee constituted under Schedule Tribes & other Traditional Forest Dwellers (recognition of rights) Act (FRA),2006.

A meeting of the District level Committee of District Tehri Garhwal (Uttarakhand ) District Magistrate, Tehri Garhwal on date 04/01/2022 at Tehri Garhwal, in which the application claiming rights in village Bawani in Pav li Devi Tehsil under Narendranagar Sub Division area measuring 1.1206 hectares for "**Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in state of Uttarakhand**" of forest land under FRA ,2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divisional level committee of Narendranagar Sub Division were discussed to consider the same for admission by district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussion, no objections/claims were found to have been made and hence District Level Committee recommend the above case for diversion of the land for said purpose.

Place: \_\_\_\_\_

Dated: \_\_\_\_\_

  
District Magistrate, Tehri Garhwal,

जिलाधिकारी

Cum

टिहरी गढ़वाल

Chairman District Level Committee





Its is further certified that – Minutes of meetings of "Development of 126 km long broad Gauge New Rail Link between Rishikesh and Karanprayag in state of Uttarakhand" regarding FRA is as following:-

S.No		Remarks
(a)	For complete process for identification and settlement of right under FRA has been carried out for 1.1206 Hectares of Forest area proposed for diversion .A copy of record and consultations and meetings of forest rights Committee(s), Sub Division level Committee(s).	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by Government as required under section3(2) of FRA have been completed .	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers.
(c)	The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal groups and Pre-Agriculture Communties.	Yes, Copy of records attached as there are no habitants belonging to Schedule Tribes And other Traditional Forest Dwellers

  
District Social Welfare Officer  
जिला समाज कल्याण अधिकारी  
Tehri Garhwal

  
Divisional Forest Officer  
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग  
Narendranagar Forest Division

  
उर्मिला पुण्डीर  
सदस्य जिला पंचायत  
बार्ड-44, तपोवन, नरेन्द्रनगर  
टिहरी गढ़वाल

  
(Eva Ashish Srivastava, IAS)  
जिलाधिकारी  
District Collector (Tehri Garhwal)  
टिहरी गढ़वाल



परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई  
ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण

कार्यालय उपजिलाधिकारी नरेंद्रनगर  
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत  
अनापत्ति प्रमाण पत्र  
उपखण्ड स्तरीय समिति नरेंद्रनगर

उत्तराखण्ड में जनपद टिहरीगढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना के निर्माण हेतु 1.12.06 हे० आरक्षित वन भूमि जो कि बवानी ग्राम शिवपुरी में स्थित हैं। भारतीय रेल के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वार प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में उपजिलाधिकारी कार्यालय में उपजिलाधिकारी की अध्यक्षता में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदिन आरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित आरक्षित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपखण्ड स्तरीय समिति के सभी सदस्यों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है।

सर्वसम्मति से उपखण्ड टिहरीगढ़वाल परिक्षेत्र के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ने ब्रॉड गेज रेल परियोजना निर्माण हेतु 1.12.06 हे० आरक्षित वन भूमि ग्राम बवानी शिवपुरी में भारतीय रेल (परियोजना एजेन्सी) को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

SDM  
NARENDRA NAGAR

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति  
तहसील – नरेंद्रनगर  
जनपद – टिहरीगढ़वाल

टिहरी गढ़वाल









प्रतिलिपि:– जिलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

उप जिलाधिकारी / अध्यक्ष  
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति  
तहसील – नरेंद्रनगर  
जनपद – टिहरीगढ़वाल



**कार्यालय उपजिलाधिकारी नरेंद्रनगर  
उपखण्ड सतरीय समिति नरेंद्रनगर**

आज दिनांक 25/11/2021 का उत्तराखण्ड राज्य में 126 कि०मी० ऋषिकेश – कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण परियोजना हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

क्र० सं०	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1		उपजिलाधिकारी / अध्यक्ष नरेंद्रनगर	 SDM NARENDRA NAGAR
2		उप प्रभागीय वनाधिकारी नरेंद्रनगर	
3		सहायक समाज कल्याण अधिकारी	 उप प्रभागीय वनाधिकारी (नरेंद्रनगर) सहायक समाज कल्याण नरेंद्रनगर (टिहरी)
4		बी०डी०सी० क्षेत्र बवानी	





परियोजना का नाम – उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई  
ब्रॉड गेज रेल लाईन निर्माण

वन अधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत का नाम- .....बवाली.....

तहसील.....नरेन्द्र नगर....., जिला .....टिहरी-गढ़वाल.....  
अनापत्ति प्रमाण पत्र


उत्तराखण्ड में जनपद टिहरीगढ़वाल के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में 126km कि०मी० ऋषिकेश-कर्णप्रयाग नई ब्रॉड गेज रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु 1.1206 हे० आरक्षित वन भूमि, ०.०० हे० सिविल सोयम भूमि, ०.०० हे० वन पंचायत भूमि अर्थात् कुल 1.1206 वन भूमि भारतीय रेल के पक्ष में भारत सरकार का पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया ।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत बवाली द्वारा दिनांक 17/11/2021 को सम्पन्न ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदिन आरक्षित वन भूमि के सम्बन्ध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई यह कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के प्राविधानों के तहत आवेदित आरक्षित वन भूमि अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य है अथवा नहीं।

उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त आरक्षित वन भूमि में किसी भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का कब्जा कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त रेल लाईन परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा सर्वसम्पति से निर्णय लिया गया / प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम बवाली के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि भारतीय रेल प्रयोक्ता एजेन्सी परियोजना निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

  
ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत बवाली  
वि० ख० नरेन्द्र नगर  
जनपद-टिहरी गढ़वाल  
ग्राम सचिव

ग्राम पंचायत विकास अधिकारी  
ग्राम पंचायत बवाली  
वि० ख० नरेन्द्र नगर  
जनपद-टिहरी गढ़वाल





प्रपत्र-23.1

दिनांक 17/11/2014 को ग्राम पंचायत की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

क्रमांक	ग्राम सभा बैठक में उपस्थित सदस्यों के नाम	हस्ताक्षर
1	सुरेन्द्र सिंह शर्मा, वार्ड = 7	सुरेन्द्र सिंह
2	गजरा सिंह	गजरा सिंह

अधिशाली अधिकारी